ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. No.- 79-81**

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-III, Issues-37, YEAR- July-Sept. 2025

भारतीय कानून व्यवस्था एवं महिलाओं का साम्पत्तिक अधिकार

गरिमा पाल, 2. प्रो0 (डॉ0) शितिकण्ठ दूबे

1. शोध अध्येता 2. प्रोफेसर, विधि संकाय, आगरा कॉलेज, आगरा (डॉ. भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा) (उ0प्र0) भारत

Received-07.08.2025, Revised-13.08.2025, Accepted-16.08.2025 **E-mail : peetambrask@gmail.com**

सारांशः ***भारतीय संविधान ने समानता और सामाजिक न्याय को मूल अधिकारों के रूप में स्थापित किया है, जिनके अंतर्गत महिलाओं के संपत्ति अधिकार भी विशेष महत्व रखते हैं। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक महिलाओं की संपत्ति पर अधिकार की स्थिति में अनेक उतार–चढ़ाव आए हैं। प्रारम्भिक हिन्दू विधानों और रीति–रिवाजों में महिलाओं को सीमित संपत्ति अधिकार प्राप्त थे, जिन्हें स्त्रीधन तक ही सीमित किया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में महिलाओं को समानता और न्याय सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न विधिक प्रावधान किए गए। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 तथा उसके 2005 के संशोधन ने पुत्र और पुत्री के सम्पत्ति सम्बन्धी विभेद को समाप्त कर, समान उत्तराधिकार का दर्जा प्रदान किया, जिससे महिलाओं के अधिकारों की स्थिति सुदृढ़ हुई है। मुस्लिम विधि, ईसाई विधि तथा पारसी विधि में भी महिलाओं के संपत्ति अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रावधान मौजूद हैं।***

वर्तमान भारतीय कानून व्यवस्था महिलाओं को संपत्ति पर समान अधिकार प्रदान करती है, किंतु व्यवहारिक रूप में सामाजिक, सांस्कृतिक और पितृसत्तात्मक संरचनाएँ अभी भी इनके प्रयोग में बाधा उत्पन्न करती हैं। इस शोध का उद्देश्य महिलाओं के संपत्ति अधिकारों की संवैधानिक व विधिक स्थिति का विश्लेषण करना तथा व्यावहारिक चुनौतियों को रेखांकित कर उनके समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत करना है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि विधिक सुधारों ने महिलाओं को संपत्ति संबंधी अधिकारों में समानता प्रदान की है, परंतु इन अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समाज में जागरूकता, शिक्षा और सशक्तिकरण की आवश्यकता है।

कुंजीभूत शब्द– **महिलाओं के संपत्ति अधिकार, भारतीय संविधान, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, लैंगिक समानता, विधिक सुधार।**

परिचय – महिलाओं का समाज में एक विशेष स्थान है, चाहे वह विकसित हो, विकासशील हो या अविकसित हो। यह विशेष रूप से उनके जीवन के विभिन्न चरणों के दौरान एक बेटी, पत्नी, माँ और बहन आदि के रूप में उनके द्वारा निभाई जाने वाली विभिन्न भूमिकाओं के कारण है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में इस योगदान के बावजूद, वह अभी भी समाज के एक ऐसे वर्ग या समूह से संबंधित है जो कई सामाजिक बाधाओं के कारण बाधित स्थिति में है। वह समाज में वर्चस्व रखने वाले पुरुषों के कारण घृणा का शिकार हुई है। भारतीय महिला की स्थिति दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अपने साथियों से बेहतर नहीं है। एक ओर, वह सभी के द्वारा उच्च सम्मानित व पूजनीय है, जिसे सहिष्णुता और सदाचार का अवतार माना जाता है। वहीं दूसरी ओर, वह पुरुष प्रधान समाज द्वारा उत्पन्न अनैतिक दुखों, कष्टों और अत्याचारों का शिकार रही है।

प्राचीन हिंदू समाज में, महिलाओं को निम्न सामाजिक दर्जा प्राप्त और संपत्ति के किसी भी अधिकार के लिए आश्रित माना जाता था। मिताक्षरा कानून के तहत, जन्म के समय ही पुत्र को पारिवारिक संपत्ति में अधिकार और हिस्सेदारी मिल जाती है। इस विचारधारा के अनुसार, परिवार में जन्म के आधार पर पुत्र, पौत्र और ज्येष्ठ पौत्र मिलकर संतान वर्ग बनाते हैं। मिताक्षरा कानून में कोई भी महिला सहदायिक संपत्ति की सदस्य नहीं है।

महिलाओं को उत्तराधिकार की व्यवस्था में लाने वाला पहला कानून 'हिंदू विधि, 1929' था, जो तीन महिला उत्तराधिकारियों, अर्थात् पुत्र की पुत्री, पुत्री की पुत्री और बहन को उत्तराधिकार का अधिकार प्रदान करता है। इस काल में महिलाओं पर स्वामित्व स्थापित करने वाला एक और ऐतिहासिक कानून "हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम, 1937" था। 1937 के इस अधिनियम ने विधवा को पुत्र के साथ उत्तराधिकार प्राप्त करने और पुत्र के बराबर हिस्सा लेने का अधिकार दिया। विधवा सहदायिक नहीं थी, हालाँकि उसे संपत्ति में सहदायिक अधिकार प्राप्त था और वह संयुक्त परिवार की सदस्य थी।

सहदायिक संपत्ति की अवधारणा – सहदायिकी (कोपारसेनरी) उपाधि, अधिकार और हितों का समूह है। इस शब्द को और स्पष्ट करने के लिए, एक हिंदू सह– सदस्य एक हिंदू संयुक्त परिवार की तुलना में बहुत संकीर्ण निकाय है। इसमें केवल वे व्यक्ति शामिल हैं, जो जन्म से ही सह– संपत्ति में रुचि रखते हैं, वे कुछ समय के लिए, संपत्ति धारकों के बेटे, पोते– पोतियां और परपोते– परपोती होंगे।

द ब्लैक लॉ डिक्शनरी 'कोपारसेनरी' शब्द का अधिक व्यापक विवरण देता है। इसमें कहा गया है कि जहां कई लोग एक ही उत्तराधिकारी के रूप में एक ही पूर्वज से वंशज लेते हैं, जो सभी सह– भागीदार बनते हैं, लेकिन उनके पास एक उत्तराधिकारी और एक संपत्ति होती है और वे सामूहिकता और हित की उपाधि से जुड़े होते हैं।

हिंदू महिलाओं का संपत्ति का अधिकार – एक हिंदू महिला, चाहे वह एक युवा महिला हो, पत्नी हो या विधवा, कभी भी अपनी संपत्ति को सुरक्षित करने से उपयोग करने से नहीं रोकती है। वास्तव में, मनुस्मृति में भी देखा जा सकता है कि संपत्ति रखने के अधिकार का सम्मान किया गया था। याज्ञवल्क्य, कात्यायन और नारद जैसे न्यायविदों ने महिलाओं के संपत्ति अधिकारों की अवधारणा को सामने रखा। महिलाओं के संपत्ति अधिकार उनके समय में बेहतर और परिष्कृत हो गए। स्मृतिकाल ने महिलाओं के लिए एक अनूठी प्रकार की संपत्ति सृजित की, "स्त्रीधन"। अनादिकाल से, "स्त्रीधन" को महिलाओं की एक अलग संपत्ति माना जाता था। जिमुतवाहन ने कहा कि विवाह के बाद भी महिला का अपनी संपत्ति पर पूरा नियंत्रण होता है। शादी में उसे अपने पिता और रिश्तेदारों से जो गहने मिलते हैं, वे उसी का हिस्सा हैं। उसके अपने और पति के परिवार के उपहार भी उसके साथ जोड़े जाएंगे।

मुस्लिम महिलाओं के संपत्ति के अधिकार – 1950 में संविधान लागू होने के बाद से मुस्लिम महिलाओं के अधिकार चर्चा का विषय रहे हैं। इस्लामी कानून (शरिया) को कई लोग पितृसत्तात्मक और महिलाओं के लिए दमनकारी मानते हैं। हालाँकि कुरान ने चौदह सौ साल पहले महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कुछ बदलाव करके महिलाओं के मुद्दों पर ध्यान दिया है, लेकिन ये सुधार आज मुस्लिम समाज में प्रचलित नहीं हैं। हालांकि पैगंबर मोहम्मद के समय इस्लाम के कानून महिलाओं के लिए दमनकारी नहीं थे।

अनुरूपी लेखक/ संयुक्त लेखक

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-III, Issues-37, YEAR- July-Sept. 2025

ईसाई महिलाओं के संपत्ति के अधिकार – भारत (जो) एक बहु– धार्मिक व बहु– कृतिक समाज है, जिसने अपने नागरिकों को संविधान के भाग प्प् में विभिन्न मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करके धर्म और लिंग के आधार पर अनुच्छेद 15(1) के तहत दिये गये किसी भी व्यक्ति के खिलाफ गैर भेदभाव के संवैधानिक जनादेश को 71 साल पहले संविधान की घोषणा के बाद भी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत हिंदू महिला संपत्ति अधिकार – हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 द्वारा महिलाओं के संपत्ति अधिकारों में काफी सुधार किया गया है। विरासत द्वारा सम्पत्ति के अधिग्रहण पर महिलाओं के सीमित संपत्ति के हकदार होने की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है और महिलाएं किसी भी संपत्ति की विरासत जैसी पूरी संपत्ति की हकदार हैं। पुनः, पूर्ववर्ती पुत्र की पुत्री और पूर्ववर्ती पुत्री की पुत्री को उच्च पद पर उठाया जाता है। वह वर्ग–1 की उत्तराधिकारी बनीं और उन्हें बेटे और अन्य वर्ग–1 के उत्तराधिकारियों के साथ हिस्सा मिला। लिंग के आधार पर अलगाव को हटाने के लिए बेटियों को वर्ग श्रेणी में शामिल किया जाता है। इसी तरह, 'स्त्रीधन' के विचार को कम सम्मान देते हुए एक महिला की संपत्ति या किसी भी प्रकृति के 'स्त्रीधन' के उत्तराधिकार को समान बनाया जाता है। इसी तरह उत्तराधिकार के मामले में पुरुष और महिला उत्तराधिकारियों के बीच के अंतर को दूर कर दिया गया है और अब उनके साथ समान आधार पर व्यवहार किया जाता है यदि वे समान स्तर के हैं। महिलाओं को अब अस्थिरता के दौर से मुक्ति मिलेगी।

हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 –हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में संशोधन का उद्देश्य पुरुष केंद्रित समाज के आधार पर प्रहार करना है, जिसे मिताक्षरा सह– अधिवेशन के माध्यम से बनाए रखा गया है। अधिनियम की धारा 6 महिलाओं को वंशानुगत संपत्ति प्राप्त करने से प्रतिबंधित करती है क्योंकि महिलाएं निश्चित रूप से सह– भागीदार नहीं हैं।[9] संशोधन अधिनियम 2005 ने भारतीय संविधान के भाग III में एकरूपता के शासन को प्रभाव प्रदान करने के लिए पुरुष सह– सदस्य के विशेष गढ़ को कुचल दिया। मिताक्षरा सह– अधिवेशन में हिंदू संयुक्त परिवार की महिला व्यक्तियों की स्थिति को पुरुष सह–भागीदारों के बराबर बढ़ाकर लिंग विभेद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है।

2005 में किया गया संशोधन विधि आयोग द्वारा हिंदू महिलाओं के संपत्ति अधिकारों पर अपनी 174वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर निर्भर था। सच कहा जाए, तो आयोग ने मिताक्षरा सह– अधिवेशन में मौजूद स्पष्ट अलगाव के आलोक में इस विषय को स्वतः लिया था।[10] आयोग द्वारा यह देखा गया कि पुराने दिनों से संपत्ति कानून पुरुषों की सहायता के लिए अधिकृत थे। हिंदू महिलाओं को संपत्ति के अधिकारों से केवल इस उद्देश्य से वंचित किया गया था कि वे उन पर अधिकार का प्रयोग करें और उन्हें उत्पीड़ित करें और पुरुषों के अधीन करें। संयुक्त परिवार में महिलाएं केवल भरण– पोषण की हकदार थीं। इसके बावजूद एक पुत्र वंशावली संपत्ति में विरासत प्राप्त करता है क्योंकि वह एक सह– भागीदार है। महिलाओं को छोड़कर सह–सहभागीदार के रखरखाव ने विरासत के मामले में पारंपरिक पुरुष प्रधानता को बनाए रखा। आयोग ने इस असंतुलन की ओर ध्यान आकर्षित किया और कहा कि यह वास्तव में संविधान पर जबरन वसूली है। इन खोजों के आधार पर आयोग ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 में संशोधन की सिफारिश की।

प्रथागत कानून के तहत मुस्लिम महिलाओं के संपत्ति अधिकार – प्रथागत कानून के तहत मुस्लिम महिलाओं के संपत्ति अधिकार मुख्यतः इस्लामिक शरीयत और हदीसों पर आधारित हैं, जो उन्हें विरासत और संपत्ति में निश्चित हिस्सेदारी प्रदान करते हैं। मुस्लिम व्यक्तिगत कानून (शरीयत) अधिनियम, 1937 के अनुसार, महिलाओं को उनके पिता, पति, पुत्र और अन्य रिश्तेदारों की संपत्ति में उत्तराधिकार का अधिकार है। हालांकि, पारंपरिक और सामाजिक प्रथाओं के कारण कई बार महिलाएं अपने हिस्से से वंचित रह जाती हैं। इस्लाम में बेटियों को बेटों की तुलना में आधा हिस्सा दिया जाता है, परंतु यह व्यवस्था इस सिद्धांत पर आधारित है कि पुरुषों पर परिवार के भरण– पोषण की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। विवाह के समय मेहर (दहेज नहीं) महिला का वैध और व्यक्तिगत अधिकार माना गया है, जो उसे आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार, यद्यपि प्रथागत कानून ने मुस्लिम महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिए हैं, सामाजिक रूढ़िवादिता और जागरूकता की कमी के कारण इनके क्रियान्वयन में अब भी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

निष्कर्ष – भारत में शादियों से महिलाओं को साम्पत्तिक अधिकार प्राप्त नहीं थे जिसके कारण महिला व पुरुषों के मध्य संपत्ति संबंधी अधिकार विभेद परिलक्षित होता रहा, किन्तु भारतीय कानून व्यवस्था ने महिलाओं के सम्पत्ति अधिकारों को मान्यता देने की दिशा में समय– समय पर महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, विशेष रूप से हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम, 2005 में संशोधन एक एतिहासिक कदम था। जिसने बेटियों को पुत्रों के समान सम्पत्ति में अधिकार प्रदान किया जो एक मील का पत्थर है। इसी प्रकार, अन्य धर्मों में भी महिलाओं की सम्पत्ति के सम्बन्ध में विधिक स्थिति सुदृढ़ हुई है, किन्तु वे पूरी तरह से समान नहीं हैं।

हालाँकि, विधिक रूप से अधिकारों की स्थापना हो चुकी है, लेकिन वास्तविकता में महिलाओं को इन अधिकारों का पूर्ण उपयोग करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सामाजिक दबाव, पारिवारिक विरोध, जागरूकता की कमी और लंबी कानूनी प्रक्रिया महिलाओं को उनके हक से वंचित रखती है।

अतः यह आवश्यक है कि केवल कानून बनाने तक ही सीमित न रहकर, सामाजिक जागरूकता, शिक्षा और महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयासों को भी प्राथमिकता दी जाए, ताकि वे अपने संपत्ति अधिकारों को न केवल समझ सकें, बल्कि उनका प्रयोग भी कर सकें। एक समान और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में सम्पत्ति के अधिकारों की महत्वपूर्ण भूमिका को समझा जाए और उन्हें व्यवहारिक रूप से लागू किया जाए ।

सदर्न्भ ग्रन्थ सूची

1. C.A. गुरुदथ, (एडं महिला, बाल कानून और समाज, 119 (2006)
2. K.M. कपाड़िया, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया 80 (1955)
3. ब्लैक लॉ डिक्शनरी (10वां संस्करण) कनक लता मुकुंद, 'हल्दी भूमि, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल से तमिल समाज में
4. महिलाओं के संपत्ति अधिकार', XXVII/17.

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-III, Issues-37, YEAR- July-Sept. 2025

5. इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली – 2 (1992)
6. वही।
7. अल्लादी कुप्पुस्वामी (एडं मेन्स हिंदू लॉ एंड यूसेज 840 (12वां संस्करण, भारत लॉ हाउस, 1986)
8. इमैनुएल नाहर, "भारत में अल्पसंख्यक अधिकारः ईसाई अनुभव और आशंकाएं" मुख्यधारा साप्ताहिक Vol-XLV, No-01, (24–4–07).
9. मनीषा गर्ग और नेहा नागर, "क्या महिलाएं कर्ता हो सकती हैं?", http%// www-legal servicesindia.com उपलब्ध है।
10. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 अधिनियम की धारा 6 महिलाओं को विरासत से बाहर करती है। केवल पुरुष सदस्य ही संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं।
11. पारस दीवान, मुस्लिम लॉ इन मॉडर्न इंडिया, 213 (9वां संस्करण, इलाहाबाद लॉ एजेंसी, इलाहाबाद, 2000).

*****